राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर

"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर– 302015
(दूरभाष नं0:– 0141–2740837,, फैक्स 0141–2742309, ई मेल:– jacct.dta@rajasthan

क्रमांक :– एफ4(ई)(आर–596) / अलेसे–III / 6428 दिनांक:–25.12.2020

कार्यालय आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक एफ4(ई)(1)(6)पदस्थापन / अलेसे–III / 3092 दिनांक 09.03.2019 के आदेश संख्या 371 / 2018–19 के द्वारा श्री रामकुंवार, कनि. लेखाकार का स्थानान्तरण जिला परिषद् (आर.डी.सी), नागौर से ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, नागौर एवं श्री शैतानाराम काला, कनिष्ठ लेखाकार का स्थानान्तरण राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद् एस.एस.ए. देसूरी जिला, पाली से जिला परिषद् (आर.डी.सी), नागौर मे किया गया जिसके अनुसरण में श्री काला द्वारा दिनांक 10.03.2019 को कार्यालय जिला परिषद् (आर.डी.सी), नागौर में कार्यग्रहण किया गया। तथा लोक सभा चुनाव–2019 में आदर्श आचार संहिता के परिणाम स्वरूप श्री रामकुवांर, कनि. लेखाकार को जिला परिषद् (ग्राविप्र), नागौर के पत्रांक 1137 दिनांक 27.05.2019 द्वारा स्थानान्तरित कार्यालय ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, नागौर हेतु कार्यमुक्त किया गया। जिसके क्रम में श्री रामकुवांर, कनि. लेखाकार द्वारा दिनांक 27.05.2019 को मध्यान्ह् पूर्व नव पदस्थापन कार्यालय में कार्यग्रहण किया गया।

इस प्रकार दिनांक 10.03.2019 से दिनांक 26.05.2019 तक की अवधि में कार्यालय जिला परिषद् (आर.डी.सी), नागौर में कनि. लेखाकार के एक पद के विरूद्ध दो कनि. लेखाकार कार्यरत रहे है।

अतः श्री रामकुंवार कनि. लेखाकार की दिनांक 10.03.2019 से 26.05.2019 तक की अवधि का वेतन कार्यालय सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, नागौर के कनिष्ठ लेखाकार के रिक्त पद के विरूद्ध आहरण कर भुगतान की एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती हैं।

(सर्वेश कुमार तिवाड़ी)
निदेशक

क्रमांक :– एफ4(ई)(आर–596) / अलेसे–III / 6428 दिनांक:25.12.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् (आ.डी.सी) नागौर।
2. ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, नागौर।
3. श्री रामकुंवार, कनि. लेखाकार ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, नागौर।
4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक।
5. उपनिदेशक (एसीपी), कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं पीआईएस में Updation करने हेतु।
6. गार्ड फाईल / निजी पत्रावली।

उप निदेशक (कार्मिक–III)